

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. (14)-बी-1-36-2009-2-पांच.—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि रूल्स आफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन कराए बिना तत्काल किया जाना चाहिए.

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-पांच-पू.आ., तारीख 7 जनवरी 1960 में, जहां तक कि उसका संबंध रूल्स आफ जनरल एप्लीकेशन से है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना तथा नियमों में, नियम 1 में, उपनियम (3) में, परन्तुक में, खण्ड (क) में, अंक और शब्द “31 मार्च 1996” के स्थान पर, अंक और शब्द “31 मार्च 2004” स्थापित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. (14)-बी-1-36-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (14)-बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 29 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010

No. (14) F-B-1-36-2009-2-V.—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Rules of General Application should be made at once without previous publication in the official Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. 14-V-SR, dated 7th January, 1960 as far as it relates to the Rules of General Application, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification and rules, in rule 1, in sub-rule (3), in the proviso, in clause (a), for the figures and word “31st March, 1996”, the figures and word “31st March, 2004” shall be substituted.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.